

बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड

बनाम

आयकर आयुक्त

22 फरवरी, 1960

(जे. एल. कपूर, ए. के. सरकार और एम. हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्तिगण)

आयकर-सहकारी बैंक-अन्य बैंकों में जमा पर प्राप्त ब्याज-अधिसूचना के तहत कराधान से छूट-भारतीय आयकर अधिनियम, नियम 922 (नियम 922 का XI) धारा 10, 12।

अपीलकर्ता बैंक, जो सहकारी समिति अधिनियम, 1922 के तहत पंजीकृत था, ने संबंधित लेखा वर्षों में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में जमा पर ब्याज के रूप में कुछ धनराशि प्राप्त की। आयकर अधिकारी ने भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 12 के तहत उपरोक्त धनराशि को अन्य स्रोतों से आय के रूप में मूल्यांकित किया, लेकिन अपीलकर्ता ने दावा किया कि जमा निवेश करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि बैंक के रूप में अपना व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से किया गया था और चूंकि जमा पर प्राप्त ब्याज उसके व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ था, इसलिए यह आयकर के अधीन नहीं था, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 60 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसा नहीं था। अधिसूचना के अनुसार, किसी भी सहकारी समिति का लाभ अधिनियम के तहत देय कर से मुक्त है, लेकिन अधिनियम की धारा 12 में निर्दिष्ट "अन्य स्रोतों" से प्राप्त आय नहीं।

अभिनिर्धारित, अपीलकर्ता बैंक द्वारा वर्तमान वाद में जमा पर प्राप्त ब्याज, उसके बैंकिंग व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य से किए गए लेनदेन से उत्पन्न हुआ था और अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त आय के दायरे में आता है।

पंजाब सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, पंजाब, [1940] 8 आई.टी.आर.

635 पर भरोसा किया गया।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपीलें संख्या 228 से 230, 1958।

पटना उच्च न्यायालय के 2 जुलाई, 1957 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध अपीलें, विविध न्यायिक वाद संख्या 640/1955।

एन. ए. पालखीवाला, ठाकुर प्रसाद और आर. सी. प्रसाद अपीलकर्ता के लिए।

सी. के. दफ्तरी, भारत के सॉलिसिटर जनरल, आर. गणपति अय्यर और डी. गुप्ता, उत्तरदाता के लिए।

22 फरवरी, 1960। न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया

कपूर, न्यायमूर्ति - अपीलकर्ता एक बैंक है जो सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (अधिनियम द्वितीय, कपूर न्यायमूर्ति, 1912) के अंतर्गत पंजीकृत है और बिहार एवं उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (बिहार अधिनियम, 1935) के अंतर्गत पंजीकृत माना जाता है, जिसने बिहार में सहकारी समिति अधिनियम, 1912 का स्थान लिया है। यह बिहार राज्य में बैंकिंग व्यवसाय कर रहा था। बैंक के उद्देश्यों में से एक है सामान्य बैंकिंग व्यवसाय चलाना, जो बिहार अधिनियम और उसके अंतर्गत वर्तमान में लागू नियमों (उप-नियम 3(ए)छठी) के प्रावधानों के विपरीत न हो। वर्ष 1945, 1946 और 1947 में, अपीलकर्ता बैंक ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में जमा पर ब्याज के रूप में क्रमशः 7,192 रुपये, 20,250 रुपये और 22,600 रुपये प्राप्त किए। ये वही राशियाँ हैं जो इन तीन अपीलों में विवाद का विषय हैं जो क्रमशः मूल्यांकन वर्षों 1946-47, 1947-48 और 1948-49 से संबंधित हैं। इन राशियों का मूल्यांकन आयकर अधिनियम की धारा 23(3) के तहत मूल्यांकन करते समय नहीं किया गया था, बल्कि बाद में धारा 34 के तहत इन्हें 'अन्य स्रोतों' के अंतर्गत 'आय' के रूप में मूल्यांकित किया गया

था। इस आदेश को अपीलीय सहायक आयुक्त और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा बरकरार रखा गया। इसके बाद अधिनियम की धारा 66(1) के तहत उच्च न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया गया, लेकिन अपीलकर्ता के विरुद्ध निर्णय लिया गया। अपीलकर्ता ने तीन निर्धारण वर्षों के संबंध में इस न्यायालय में तीन अपीलें दायर कीं। इनमें से प्रत्येक में उत्तरदाता बिहार और उड़ीसा के आयकर आयुक्त हैं। चूंकि अपीलों में कानून का एक सामान्य प्रश्न शामिल है, इसलिए इन्हें समेकित किया गया है और एक ही निर्णय द्वारा इनका निपटारा आसानी से किया जा सकता है।

अपीलकर्ता ने अपने रिटर्न में इन विभिन्न राशियों को 'अन्य स्रोतों' के रूप में दर्शाया, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा इस आय को रिटर्न में दर्शाने का तरीका कोई मायने नहीं रखता। आयकर अधिकारी ने, हालांकि, आयकर अधिनियम की धारा 12 के तहत इन तीन वर्षों के ब्याज को 'अन्य स्रोतों' से आय के रूप में मूल्यांकित किया। अपीलकर्ता ने अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील दायर की, जहाँ यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता बैंक का व्यवसाय ऋण देना था और जमा राशि निवेश के उद्देश्य से नहीं बल्कि व्यवसाय के लिए की गई थी, और इस प्रकार सहकारी बैंक के गठन के उद्देश्य को पूरा करते हुए, ब्याज की ये विभिन्न राशियाँ आयकर के अधीन नहीं थीं, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 60 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसा संभव था। उस अधिसूचना, सी.बी.आर. अधिसूचना संख्या 35 दिनांक 20 अक्टूबर, 1934 और संख्या 33 दिनांक 18 अगस्त, 1945 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार था:

निम्नलिखित प्रकार की आय उक्त अधिनियम के अंतर्गत देय कर से मुक्त होगी, लेकिन उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए करदाता की कुल आय निर्धारित करते समय इन्हें ध्यान में रखा जाएगा।

(2) बॉम्बे प्रेसीडेंसी में सानिकट्टा सॉल्ट ओनर्स सोसाइटी के अलावा किसी भी सहकारी समिति का लाभ, जो फिलहाल सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (अधिनियम द्वितीय, 1912), बॉम्बे सहकारी समिति अधिनियम, 1925 (बॉम्बे अधिनियम सातवां, 1925), या मद्रास सहकारी समिति अधिनियम, 1932 (मद्रास अधिनियम छठा, 1932) के तहत पंजीकृत है, या ऐसे लाभ में से किसी भी ऐसी समिति के सदस्यों द्वारा प्राप्त लाभांश या अन्य भुगतान।

स्पष्टीकरण: इस प्रयोजन के लिए, किसी सहकारी समिति के लाभ में निम्नलिखित से प्राप्त कोई भी आय, लाभ या प्राप्ति शामिल नहीं मानी जाएगी:

(1) निम्नलिखित में निवेश: (क) भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित प्रकार की प्रतिभूतियाँ; या (ख) उस अधिनियम की धारा 9 में उल्लिखित प्रकार की संपत्ति;

(2) लाभांश; या

(3) भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित 'अन्य स्रोत'।

हालाँकि, अपीलीय सहायक आयुक्त ने अपीलकर्ता के तर्क को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता का व्यवसाय 'अपने ग्राहकों को धन उधार देना और कृषि एवं अन्य उत्पाद बेचना' था, जिसकी योजना पहले से बनाई जा सकती थी और असाधारण दावों के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने टिप्पणी की कि बैलेंस शीट से यह प्रतीत होता है कि लेखा वर्ष 1945 में बैंक ने 13,50,000 रुपये सावधि जमा के रूप में निवेश किए, जो अगले वर्ष बढ़कर 15,00,000 रुपये हो गए और केवल लेखा वर्ष 1947 में ही 'ब्याज सहित परिपक्वता पर सावधि जमा का भुगतान किया गया'। उनका यह भी मत था कि जिस अवधि के दौरान यह धन 'इस तरह बंद रखा गया' वह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि 'जरूरी आवश्यकताओं की मजबूरियों से नहीं, बल्कि अधिशेष निधि के निवेश के उद्देश्यों से' जमा राशि को प्रेरित किया गया था। इसलिए उन्होंने माना कि इंपीरियल बैंक में रखी गई सावधि जमा राशि अपीलकर्ता के व्यवसाय

से पूरी तरह अलग निवेश के रूप में रखी गई थी और इन जमाओं पर प्राप्त ब्याज आयकर से मुक्त नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि सहकारी समिति के लाभ पर छूट उसके सहकारी गतिविधियों के दायरे तक ही सीमित है और इसलिए निवेश पर प्राप्त ब्याज अपीलकर्ता के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं है जो कर से मुक्त हो। उन्होंने आगे कहा कि सहकारी समिति के लाभ पर छूट उसके सहकारी गतिविधियों के दायरे तक ही सीमित है, इसलिए निवेश से प्राप्त ब्याज अपीलकर्ता के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं है, जिसे कर से छूट प्राप्त है। इस आदेश के विरुद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की गई और वहाँ यह तर्क दिया गया कि बैंक ने जमा राशि को निवेश के रूप में नहीं, बल्कि इसलिए जमा किया था ताकि अपीलकर्ता को अपने व्यवसाय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लगातार नकदी उपलब्ध हो सके। यह जमा राशि अपीलकर्ता के व्यवसाय से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी और इसलिए ब्याज को बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ माना जाना चाहिए था। यह निष्कर्ष कि इंपीरियल बैंक में अल्पकालिक जमा राशि अपीलकर्ता के बैंकिंग व्यवसाय से अलग थी, गलत था। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 11 अप्रैल, 1955 के आदेश द्वारा यह निर्णय दिया:

(1) ब्याज एक आय थी जिसे 'अन्य स्रोतों' के अंतर्गत शामिल किया जाना उचित था।

.....

(2) सहकारी समिति का लाभ उस लाभ को दर्शाता है जो ऐसे व्यवसाय से प्राप्त होता है जिसे वास्तव में सहकारी समिति का व्यवसाय कहा जा सकता है। समिति द्वारा प्रतिभूतियों में निवेश या शेयरों में या बैंक सावधि जमा में निवेश अतिरिक्त निधि से किया जाता है। इस प्रकार के निवेश से प्राप्त ब्याज या सहकारी बैंक लाभांश को ऐसे निवेश से प्राप्त लाभ को ऐसे बैंक के व्यवसाय के लाभ का हिस्सा नहीं माना जा सकता है और इसलिए, यह आयकर से मुक्त नहीं है।

(होशियारपुर केंद्रीय सहकारी बैंक बनाम आयकर आयुक्त' देखें)

इस आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता की ओर से अधिनियम की धारा 66(1) के तहत वाद दर्ज किया गया, और निम्नलिखित दो विधि प्रश्न उच्च न्यायालय की राय के लिए भेजे गए:

(1) क्या इस वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में, स्थिर जमा पर प्राप्त ब्याज

'अन्य स्रोतों' के अंतर्गत आय माना जाएगा? और

(2) क्या इस वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में, स्थिर जमा से प्राप्त ब्याज, सी.बी.आर. अधिसूचना संख्या 35 दिनांक 20 अक्टूबर, 1934 और संख्या 33 दिनांक 18 अगस्त, 1945 के तहत कराधान से मुक्त आय नहीं थी?

उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता का तर्क था कि सावधि जमा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में निवेश के इरादे से नहीं की गई थी, बल्कि इसलिए की गई थी ताकि अपीलकर्ता को अपने व्यवसाय के लिए आवश्यकतानुसार नकदी उपलब्ध हो सके। यह भी तर्क दिया गया कि ये जमा अल्पकालिक जमा थे और बैंक इन अल्पकालिक जमाओं के बिना अपना व्यवसाय नहीं चला सकता था। दूसरे शब्दों में, तर्क यह था कि इंपीरियल बैंक में जमा राशि जमा करना अपीलकर्ता बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था और जमा राशि पर प्राप्त ब्याज उसके व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ था। लेकिन उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। इसमें कहा गया कि यदि किसी सहकारी समिति द्वारा प्राप्त आय सहकारी समिति के व्यवसाय से प्राप्त होती है, तो वह छूट के दायरे में आती है, लेकिन यदि यह किसी तीसरे पक्ष के साथ व्यवसाय से उत्पन्न होती है, जैसे कि अधिशेष परिसंपत्तियों के निवेश के वाद में, तो छूट लागू नहीं होती क्योंकि तरल परिसंपत्तियों का निवेश सहकारी बैंक के व्यवसाय का हिस्सा नहीं है और बिहार राज्य अधिसूचना का कारण सहकारी बैंक सहकारी समिति को 'एक सीमित पारस्परिक सहकारी समिति का व्यवसाय चलाने' से प्राप्त होने वाले लाभों को छूट देना था और इस आधार पर कि कोई व्यक्ति स्वयं लाभ या हानि नहीं कमा सकता। इसमें कहा

गया कि यदि किसी सहकारी समिति की आय सीधे सहकारी समिति के व्यवसाय से प्राप्त होती है, तो वह छूट के दायरे में आती है, लेकिन यदि यह तीसरे पक्ष के साथ व्यवसाय से उत्पन्न होती है, जैसे कि अधिशेष परिसंपत्तियों के निवेश के वाद में, तो छूट लागू नहीं होती है क्योंकि तरल परिसंपत्तियों का निवेश सहकारी बैंक के व्यवसाय का हिस्सा नहीं है और अधिसूचना का कारण सहकारी समिति को 'पारस्परिक सहकारी समिति के व्यवसाय' से प्राप्त होने वाले लाभों को छूट देना था और इस आधार पर कि कोई व्यक्ति स्वयं लाभ या हानि नहीं कमा सकता है।

पारस्परिकता के आधार पर विद्वान महान्यायभिकर्ता ने हमारे समक्ष भरोसा नहीं किया, जो उत्तरदाता की ओर से उपस्थित हुए थे। इसलिए निर्धारण के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या किसी सहकारी बैंक द्वारा अपनी परिसंपत्तियों का सावधि जमा में निवेश, उसी प्रकार से जैसे अपीलकर्ता बैंक ने अपनी धनराशि जमा की थी, 'व्यवसाय' की श्रेणी में आता है और इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत कर योग्य है, या यह ऐसा निवेश है जिसका ब्याज 'अन्य स्रोतों' की श्रेणी में आता है और इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आता है। विद्वान महान्यायभिकर्ता ने तर्क दिया कि इन जमाओं की प्रकृति के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय तथ्यात्मक था। यह तर्क मान्य नहीं है। इसे न तो अपीलीय न्यायाधिकरण और न ही उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक निर्णय के रूप में माना गया है। उन्होंने इसे विधि का प्रश्न माना है और इसी आधार पर यह संदर्भ भेजा गया है। इस प्रश्न का निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि किसी बैंक के सामान्य व्यवसाय में क्या शामिल है और क्या अपीलकर्ता बैंक का व्यवसाय किसी भी तरह से भिन्न है। प्रिवी काउंसिल के निर्णय पर भरोसा करते हुए, *पंजाब सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, पंजाब*² के वाद में, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बैंक का व्यवसाय धन और ऋण का लेन-देन करना है और अन्य बैंकों में जमा धन रखना उतना ही व्यवसाय संचालन का एक तरीका है जितना कि

उधारकर्ताओं को धन उधार देना, चाहे वे समिति के सदस्य हों या अन्य सहकारी समितियां, और इसलिए यह अपीलकर्ता के व्यवसाय का एक हिस्सा है। इसलिए, जब किसी बैंक में जमा धन का एक हिस्सा अलग रखा जाता है, या प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, या किसी अन्य बैंकर के पास जमा किया जाता है, तो दो उद्देश्य पूरे होते हैं: (1) जो धन तुरंत आवश्यक नहीं है, वह निष्क्रिय नहीं रहता बल्कि ब्याज अर्जित करता है; और (2) यदि और जब किसी मांग को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो निवेश, अर्थात् जमा राशि, साथ ही प्रतिभूतियां, एक ऐसा स्रोत प्रदान करती हैं जिससे इन आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार बैंक की साख अप्रभावित रहती है और उसकी धनराशि पर ब्याज मिलता रहता है।

उत्तरदाता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जहाँ धन इस प्रकार खर्च किया जाता है, उसे 'बैंक का व्यवसाय चलाना' नहीं कहा जा सकता और इसलिए ऐसे निवेशों से प्राप्त कोई भी राशि व्यवसाय से होने वाला लाभ नहीं कहलाती, बल्कि वह 'अन्य स्रोतों' से होने वाली आय है। इस तर्क के समर्थन में अधिवक्ता ने *मद्रास सेंट्रल अर्बन बैंक लिमिटेड बनाम... मद्रास प्रांतीय सहकारी बैंक लिमिटेड, मद्रास बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास*³; *मद्रास प्रांतीय सहकारी बैंक लिमिटेड, मद्रास बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास*⁴; *आयकर आयुक्त, बर्मा बनाम बंगाली शहरी सहकारी ऋण समिति लिमिटेड*⁵; *आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम मद्रास प्रांतीय सहकारी बैंक लिमिटेड*⁶; *होशियारपुर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त शिमला*⁷; *कोचीन कॉटेज इंडस्ट्रीज सहकारी मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त मैसूर आदि*⁸

3 आई.एल.आर. 52 मद. 640 एफ.बी.

4 [1914] 2 आई.टी.आर. 121.

5 [1953] 24 आई.टी.आर. 346.

6 आई.एल.आर. 56 मद. 837 एफ.बी.

7 आई.एल.आर. 1943 मद. 390.

8 [1956] 30 एल.टी.आर. 356.

लेकिन इनमें से कोई भी वाद उत्तरदाता की ओर से उठाए गए तर्क का समर्थन नहीं करता है। मद्रास सेंट्रल अर्बन बैंक वाद (1) में, सोसायटी को अपनी कुल देनदारी का 40 प्रतिशत कुल डिपॉजिट के तहत तरल या प्रवाहशील रूप में निवेश करना आवश्यक था, और सोसाइटी ने इसे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया, जिससे ब्याज प्राप्त हुआ। यह माना गया कि प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज सोसाइटी के व्यवसाय के लाभ का हिस्सा नहीं था, क्योंकि सोसाइटी ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए बाध्य नहीं थी। इसी प्रकार, मद्रास प्रांतीय सहकारी बैंक वाद में भी, विवाद का विषय सरकारी प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश से प्राप्त ब्याज था, और यह माना गया कि यह उसके व्यवसाय से प्राप्त आय का हिस्सा नहीं था। रंगून वाद, *आयकर आयुक्त, बर्मा बनाम बंगाली शहरी सरकारी ऋण समिति* भी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशित पूंजी पर ब्याज से प्राप्त आय से संबंधित वाद था। पृष्ठ 128 पर, मुख्य न्यायाधीश ने कहा:-

".....,और, प्रथम दृष्टया, न तो प्रतिभूतियाँ और न ही संपत्ति से प्राप्त आय, अधिसूचना में प्रयुक्त शब्द 'लाभ' के अर्थ में मानी जा सकती हैं। यह आयकर आयुक्त का मत है कि संपत्तियों या प्रतिभूतियों में पूंजी का निवेश किसी करदाता के व्यवसाय का हिस्सा है, और ऐसे वाद में, मेरी राय में, ऐसे निवेशों से प्राप्त शुद्ध आय व्यवसाय के लाभ के रूप में मानी जाएगी और प्रभार्य होगी।

(चूंकि इस वाद पर इस दृष्टिकोण से विचार नहीं किया गया था, इसलिए वाद को इस पर विचार करने के लिए वापस भेज दिया गया था।)

अधिसूचना में संशोधन से पहले के ये वाद दर्शाते हैं कि जिस आय को छूट दी गई थी, वह व्यवसाय से प्राप्त लाभ था, न कि आयकर अधिनियम की धारा 8 और 9 के अंतर्गत आने वाले स्रोतों से प्राप्त आय। *आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम मद्रास प्रांतीय सहकारी बैंक लिमिटेड*⁹

एक ऐसा वाद था जहाँ धन को डिबेंचर में निवेश किया गया था और उपरोक्त वादों में दिए गए कारणों के समान कारणों से, यह माना गया कि उससे प्राप्त ब्याज व्यवसाय का लाभ नहीं था।

उत्तरदाता के अधिवक्ता ने पंजाब उच्च न्यायालय के *होशियारपुर सेंट्रल सहकारी बैंक बनाम आयकर आयुक्त, शिमला*¹⁰ के निर्णय पर भरोसा किया। उस वाद में सरकार ने बैंक को चीनी, तेल और मानक कपड़े के व्यापार के लिए अधिकृत किया था और बैंक ने उससे लाभ कमाया था। ये गतिविधियाँ न तो बैंक के उपनियमों के अंतर्गत आती थीं और न ही उसके उद्देश्यों के दायरे में। प्रश्न यह था कि क्या यह लाभ सहकारी समिति के लाभ होने के कारण आयकर से मुक्त था। और यह माना गया कि निर्णीत वादों से पता चलता है कि जहाँ आय सहकारी समिति द्वारा अर्जित की जाती है, वहाँ लाभ छूट के दायरे में आता है, लेकिन यदि व्यवसाय उस प्रकृति का हो जो समिति के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता है, तो छूट नहीं मिलती। तर्क की यह पंक्ति उत्तरदाता के इस न्यायालय में दिए गए तर्क का हिस्सा नहीं है और इसलिए यह वाद वर्तमान वाद के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। *कोचीन कॉटेज इंडस्ट्रीज सहकारी मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, मैसूर आदि*¹¹ के वाद में निर्णय इसी आधार पर लिया गया था। उस वाद में, अधिसूचना के तहत सहकारी बैंक द्वारा छूट प्राप्त न माना गया लाभ, सोसाइटी के गैर-सदस्यों के साथ किए गए लेन-देन से प्राप्त आनुपातिक लाभ था।

*सूरत पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, अहमदाबाद*¹² में लाभ बैंकिंग व्यवसाय के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री से उत्पन्न हुआ, जो स्टॉक-इन-ट्रेड का हिस्सा थीं, और चूंकि यह एक सहकारी बैंक था, इसलिए ऐसी बिक्री से प्राप्त लाभ को अधिसूचना के तहत कराधान से मुक्त माना गया।

10 [1953] 24 आई.टी.आर. 346

11 [1956] 30 आई.टी.आर. 356

12 [1958] 33 आई.टी.आर. 396

इस वाद में सहकारी समिति (अपीलकर्ता) एक बैंक है। इसका एक उद्देश्य बैंकिंग का सामान्य व्यवसाय करना है। अन्य बैंकों की तरह, मुद्रा इसकी मुख्य पूंजी या प्रचलन पूंजी है और इसका सामान्य व्यवसाय मुद्रा और ऋण का लेन-देन करना है। यह कहना उचित नहीं होगा कि ऐसे बैंक का व्यवसाय केवल जमा स्वीकार करना और अपने सदस्यों या उद्देश्यों में उल्लिखित अन्य समितियों को धन उधार देना है, और जब यह अपने धन को इस प्रकार खर्च करता है कि जमाकर्ताओं की मांग उत्पन्न होने पर वह तुरंत उपलब्ध हो, तो यह इसके बैंकिंग व्यवसाय को चलाने का वैध तरीका नहीं है। *पंजाब सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, लाहौर*¹³ के वाद में प्रिवी काउंसिल ने, जहां सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री से लाभ प्राप्त हुआ था, पृष्ठ 645 पर बताया कि सामान्य वादों में बैंक का व्यवसाय मूल रूप से धन और ऋण से संबंधित होता है। जमाकर्ता अपना पैसा बैंक में कम ब्याज दर पर जमा करते हैं और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए, बैंक को हमेशा पर्याप्त नकदी या आसानी से भुनाई जा सकने वाली प्रतिभूतियां रखनी पड़ती हैं। यह बैंकिंग व्यवसाय चलाने का एक सामान्य चरण है। दूसरे शब्दों में, 'यह एक ऐसा कार्य है जो वास्तव में व्यवसाय चलाने या संचालित करने के अंतर्गत आता है'। यह भी जोड़ा जा सकता है कि बैंक के व्यवसाय संचालन का एक अन्य तरीका यह है कि वह अपनी धनराशि अन्य बैंकों में जमा रखे, और यह भी उन मांगों को पूरा करने के लिए है जो उस पर की जा सकती हैं। हालांकि, यह तर्क दिया गया कि इस वाद में धनराशि इंपीरियल बैंक में दीर्घकालिक रूप से जमा की गई थी क्योंकि इसे एक वर्ष के लिए जमा किया गया था; सहकारी जमा के रूप में, क्योंकि इसे समय-समय पर एक वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जाता था; लेकिन जैसा कि खातों से पता चलता है, ये जमा राशियाँ कम अंतराल पर देय हो जाती थीं और यदि कोई आवश्यकता उत्पन्न होती तो अपीलकर्ता के आयुक्त को उपलब्ध होती।

'अतिरिक्त' शब्द के प्रयोग पर न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने इस पर जोर दिया। और हमारे समक्ष यह भी तर्क दिया गया कि उपनियमों में 'बैंक का व्यवसाय' शीर्षक के अंतर्गत यह प्रावधान है कि बैंक 'अतिरिक्त निधियों का निवेश' कर सकता है, जब बैंक के व्यवसाय के लिए इनकी आवश्यकता न हो, बिहार अधिनियम की धारा 19 में निर्दिष्ट एक या अधिक तरीकों से। (उपनियमों का खंड 4 III (i))। क्या बिहार अधिनियम की धारा 19 में दिए गए प्रावधान के अनुसार निवेशित निधियां अतिरिक्त होंगी या नहीं, यह इस मामले में निर्णय के लिए नहीं उठता, लेकिन यह सिद्ध नहीं किया गया है कि अन्य बैंकों में जमा धनराशियां उस उपनियम के अंतर्गत 'अतिरिक्त' थीं, ताकि उन्हें बैंकिंग व्यवसाय से बाहर रखा जा सके। जैसा कि हमने ऊपर बताया है, बैंकिंग व्यवसाय चलाने का एक सामान्य तरीका है धन को इस तरह से निवेश करना कि वह आसानी से उपलब्ध हो और यह बैंक के व्यवसाय संचालन का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना कि जमा प्राप्त करना या ऋण देना या हुंडी भुनाना या मांग पत्र जारी करना। इसी तरह परिसंचारी पूंजी का उपयोग किया जाता है और यही बैंक के व्यवसाय का सामान्य तरीका है। इस मामले में जमा के रूप में लगाया गया धन, अपीलकर्ता की परिसंचारी पूंजी का हिस्सा बना रहेगा और न ही उसके बैंकिंग व्यवसाय का हिस्सा बनना बंद करेगा। उनसे प्राप्त होने वाला प्रतिफल उसके व्यवसाय से होने वाले लाभ का हिस्सा होगा। व्यावसायिक दृष्टि से, कंपनी के निदेशकों का बैंक के प्रति यह दायित्व है कि वे ऐसे निवेश करें जिनसे उन्हें ब्याज मिले, न कि धन को निष्क्रिय पड़ा रहने दें। यह नहीं कहा जा सकता कि बैंक की वह धनराशि जो उधारकर्ताओं को उधार नहीं दी गई थी बल्कि किसी अन्य बैंक में जमा के रूप में रखी गई थी, जिससे निष्क्रिय पड़े रहने के बजाय लाभ में वृद्धि हुई, वह आवश्यक रूप से बैंक के व्यापारिक भंडार का हिस्सा नहीं रह गई, या उससे प्राप्त ब्याज उसके व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं था। उपनियमों के अनुसार, अपीलकर्ता बैंक का एक उद्देश्य बैंकिंग का

सामान्य व्यवसाय करना है और इसलिए यह सामान्य बैंकों की तरह ही अपना व्यवसाय करता है। यह भी जोड़ा जा सकता है कि आयकर आयुक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत विभिन्न शीर्ष और उस अधिनियम के प्रावधान आयकर इन विभिन्न शीर्षों पर लागू परस्पर अनन्य हैं। धारा 12 एक अवशिष्ट धारा है और तब तक लागू नहीं होती जब तक कि पूर्ववर्ती शीर्षों को हटा नहीं दिया जाता। *आयकर आयुक्त बनाम बसंत राय तकहट सिंह*¹⁴।

हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने जमा पर प्राप्त ब्याज को बैंक के व्यवसाय से उत्पन्न न मानने और इसलिए अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त आय के दायरे में न आने देने में गलती की है। अतः अपील स्वीकार की जानी चाहिए और उच्च न्यायालय का निर्णय एवं आदेश रद्द किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता को इस न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय दोनों में अपना खर्च वहन करने का अधिकार होगा।

अपील को अनुमति दी गयी।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।